**महत्वपूर्ण**

# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश
## 8, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./परिवार कल्याण/2020/1 भोपाल, दिनांक 30/05/2020

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
4. समस्त डी.एच.ओ–2, म.प्र।

**विषयः– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के संबंध में दिशानिर्देश।**

संदर्भः– 1. क्रमांक/एन.एच.एम./परिवार कल्याण/2020/भोपाल, दिनांक 17/04/2020।
2. क्रमांक/2020/एन.एच.एम./एम.एच./5336/भोपाल, दिनांक 05/05/2020।

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देश दिनांक 24/05/2020 अनुसार **Covid-19 कोरोना महामारी** से प्रभावित क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाओं की सेवा प्रदायगी को दृष्टिगत रखते हुए कंटेनमेंट एवं बफर जोन तथा दूसरा नॉन कंटेनमेंट जोन व ग्रीन जोन में विभाजित किया गया है। अतः परिवार कल्याण सेवाओ की प्रदायगी के संबंध में उपरोक्त संदर्भित परिपत्रो को अधिकृमित करते हुए जोनवार विभाजित क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जाते है :–

## संस्था स्तरीय सेवायें:–

| क्र. सं | कार्यक्रम की गतिविधियां | कन्टेनमेंट जोन व बफर जोन मे प्रदाय की जाने वाली सेवाऐं | बफर जोन के बाहर व ग्रीन जोन में प्रदाय की जाने वाली सेवाऐं |
|---|---|---|---|
| 1 | **नसबंदी सेवाऐं (एफ.डी.एस. व स्टेटिक सेवाऐं)** | • स्वास्थ्य संस्थाओ में किसी भी लक्षित दंपत्ति हितग्राही द्वारा परिवार नियोजन की स्थाई नसबंदी की मांग किये जाने पर सेवाऐं प्रदाय की जायेगीं।<br>• निश्चित सेवा दिवस (एफ.डी.एस.) पर अधिकतम 10 हितग्राही प्रतिदिन के मान से नसबंदी सेवाऐं प्रदाय की जायें।<br>• समस्त हितग्राहियों के आपस में 1 मीटर का अंतराल अनिवार्य रुप से रखा जाए।<br>• वार्ड के पलंग को भी 1 मीटर की दूरी में रखे जायें।<br>• समस्त स्वास्थ्य सेवाप्रदायकर्ता को स्वाथ्य सेवायें देते समय सोसल डिस्टेसिंग, इन्फेक्सन प्रबेनसन प्रेक्टिसेस का पालन करते हुये किया जाये तथा अनिवार्य रूप से महिला एवं स्वास्थ्य सेवाप्रदायकता एवं आशा द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाये। | • परिवार नियोजन की समस्त सेवाऐं दिशानिर्देश के अनुसार भीड़ से बचते हुऐ व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करते हुए प्रदाय की जायेगी।<br>• निश्चित सेवा दिवस (एफ.डी.एस.) पर अधिकतम 10 हितग्राही प्रतिदिन के मान से नसबंदी सेवाऐं प्रदाय की जायें।<br>• आवश्यकता होने पर निश्चित सेवा दिवस आयोजनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | **प्रसवोपरांत व गर्भपात पश्चात् नसबंदी सेवाऐं** | प्रसव एवं गर्भपात हेतु स्वास्थ्य संस्था में आने वाली महिला को परामर्श देते हुए नसबंदी की सेवाऐं प्रदाय की जायें। | |
| 3 | **आई.यू.सी.डी.** | यदि किसी हितग्राही द्वारा संस्था पर आकर आई.यू.सी.डी. सेवा की मांग की जाती है तो ऐसे हितग्राहियों को सेवाऐं प्रदान की जायें। | |
| 4 | **पी.पी.आई.यू.सी.डी.** | पी.पी.आई.यू.सी.डी. की सेवाऐं प्रसव के तुरंत बाद प्रदाय की जायेंगीं। | |
| 5 | **पी.ए.आई.यू.सी.डी.** | पी.ए.आई.यू.सी.डी. की सेवाऐं सर्जिकल गर्भपात पश्चात् प्रदाय की जायेंगीं। | |
| 6 | **इंजेक्टेबल एम.पी.ए. (अंतरा)** | यदि किसी हितग्राही द्वारा संस्था पर आकर गर्भनिरोधक सेवा की मांग की जाती है तो ऐसे हितग्राहियों को सेवाऐं प्रदान की जायें। | |

## सामुदायिक स्तर की गतिविधियॉ :–

- समस्त आशाओ द्वारा लक्षित हितग्राहियों को गृह भेंट के दौरान परिवार नियोजन के स्थाई एवं अस्थाई साधनो का परामर्श दिया जाना।
- परामर्श उपरान्त हितग्राहियों की उपयुक्तता/मांग के अनुसार जैसे– अंतरा, गर्भनिरोधक इन्जेक्शन, आई.यू.सी.डी. एवं महिला/पुरूष नसबंदी, की सेवा प्रदायगी हेतु आशाओं द्वारा नजदीकी चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं में भेजना सुनिश्चित की जाये।
- गर्भवती महिलाओं को ए.एन.सी. के दौरान परिवार नियोजन की स्थायी/अस्थायी साधन अपनाने हेतु आशा /स्वास्थ्य कर्मी द्वारा परामर्श दिया जाये, ताकि प्रसव उपरान्त पी.पी.आई.यू.सी.डी. या पी.पी.एस. की सेवाये दी जा सके।
- आशा/एएनएम द्वारा परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों जैसेः– गर्भनिरोधक गोली माला एन, छाया गोली, ई.सी. पिल्स, निरोंध एवं पीटीके निश्चय किट का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाये।
- मिशन परिवार विकास के जिलों में नवदम्पत्तियों कों नई पहल किट का आशा द्वारा वितरण किया जाये।
- एएनएम द्वारा परिवार नियोजन संबंधी सेवाओं की प्रविष्टी अनमोल एप में की जाये।
- समस्त ग्राम अरोग्य केन्द्र एवं आशा के पास गर्भनिरोधक साधनों की पर्याप्त उपलब्धता हो, यदि किसी आशा के पास गर्भनिराधक साधनों की उपलब्धता निरंक/कम हो तो ऐसी स्थिति में वह अपने ऊपर की स्वास्थ्य संस्था से मांग कर प्राप्त कर सकती है।
- समस्त स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता को स्वास्थ्य सेवायें देते समय सोशल डिस्टेंसिंग, इंफेक्शन प्रीवेन्शन प्रेक्टिसस का पालन करते हुये किया जाये तथा अनिवार्य रूप से महिला एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता एवं आशा द्वारा मास्क का उपयोग किया जाये।
- उपरोक्त सामुदायिक स्तरीय कार्य की मॉनिटरींग का दायित्व बी.ई.ई., डीसीएम तथा बीसीएम का होगा एव बीएमओ द्वारा नियमित रूप से सामुदायिक स्तर पर परिवार नियोजन सेवाओं की समीक्षा की जायेगी।

कोविड 19 संदिग्द्ध/पॉजीटिव महिला/पुरुष को भारत शासन के प्रोटोकॉल अनुसार होम आईसोलेशन अथवा लक्षण के आधार पर जिला कोविड हेल्थ सेन्टर/डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया जाये।

**परिवार नियोजन साधनो का वितरण** – स्वास्थ्य संस्था से निरोध, माला एन व छाया के पैकैट (कम से कम दो माह हेतु) हितग्राही को प्रदाय किये जायें जिससे हितग्राही को बार बार संस्था पर ना आना पड़े।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./परिवार कल्याण/2020/2 भोपाल, दिनांक 30/05/2020

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय आर.एम.एन.सी.एच.ए सलाहकार, एन.एच.एम मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला/विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
6. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला एम.एण्ड.ई अधिकारी, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कम्यूनिटी मोबिलाईजर, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
9. समस्त बी.ई.ई, मध्यप्रदेश।
10. समस्त स्टोर कीपर, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश